



भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
हैदराबाद

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/2/25-26/ईटी/36](#)

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उपर्युक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 23 अप्रैल 2025 को प्रातः 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में आयोजित की गई।

2. निम्नलिखित फर्मों के प्रतिनिधियों ने बोली-पूर्व बैठक में भाग लिया:

- (i) मेसर्स मैगटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड;
- (ii) मेसर्स मोटवाने मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड; तथा
- (iii) मेसर्स वेहंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

3. सभी प्रमुख नियम व शर्तों को फर्मों को विस्तार से बताया गया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान उनकी संतुष्टि के अनुसार किया गया।

4. बोली-पूर्व बैठक के दौरान फर्मों द्वारा निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए और बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्रश्न/प्रस्ताव	बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण
(i)	पृष्ठ संख्या 21 में भाग III के खंड 3.1 (I) में निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें अर्थात् फर्म को एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए, को ओईएम या उनके अधिकृत रीसेलर निविदा में भाग लेंगे में संशोधित किया जाना चाहिए।	निविदा की शर्त अपरिवर्तित है।
(ii)	निविदा सूचना के पृष्ठ संख्या 2 में खंड 3 (IV) अर्थात् निविदाकर्ताओं को स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और समर्थन तथा बिक्री के बाद सेवा के लिए दस वर्षों से ओईएम होना चाहिए (इसके प्रमाण के रूप में एईआरबी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ समर्थित) तथा उनके पास 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए जिसे पांच वर्षों के लिए ओईएम में संशोधित किया जाए।	इस खंड को इस प्रकार पढ़ा जाए: निविदाकर्ताओं को स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और समर्थन तथा बिक्री के बाद सेवा के लिए पांच वर्षों के लिए ओईएम होना चाहिए (इसके प्रमाण के रूप में एईआरबी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ समर्थित) और उनके पास 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए।
(iii)	आजकल, हर मशीन को एआई आधारित तकनीक के साथ विकसित किया जा रहा है, जिससे खरीद के लिए इस्तेमाल की जा रही मौजूदा विनिर्देश कुछ हद	निविदा विनिर्देश अपरिवर्तित हैं।



	<p>तक पुरानी हो गई हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि विनिर्देशों में एआई सुविधाओं पर विचार करें। इससे कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर-आधारित सुविधा है जो ऑपरेटर के अनुभव और दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। हमने पहले ही आरबीआई लखनऊ और आरबीआई शिलांग को एआई-सक्षम एक्सबीएस इकाइयाँ प्रदान की हैं। कृपया संदर्भ के लिए उन स्थानों से फीडबैक सत्यापित करें।</p>	
(iv)	<p>कृपया पुष्टि करें कि सभी दस्तावेजों को आरबीआई के समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा ईएमडी के बदले केवल मूल बैंक गारंटी की भौतिक प्रस्तुति आवश्यक है।</p>	<p>ईएमडी के बदले मूल बैंक गारंटी या मूल डिमांड ड्राफ्ट को निविदा जमा करने की तिथि और समय से पहले बैंक में भौतिक रूप से जमा करना होगा। अन्य दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।</p>
(v)	<p>पृष्ठ संख्या 57 में खंड VIII के क्रमांक 20 में तकनीकी विनिर्देश, मशीन को यांत्रिक, विद्युत और विकिरण खतरों के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। मशीन की स्थापना से पहले, आपूर्तिकर्ता/निर्माता को विकिरण सुरक्षा के संबंध में भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना चाहिए: यूएसएफडीए, होमलैंड सिक्योरिटी यूएसए और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रमाण पत्र। उपकरण बनाने वाली कंपनी के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के निर्माण और सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए। इस संबंध में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस प्रमाणपत्र को हटाया जाना है, क्योंकि एक्स-रे बैगज स्कैनर में इस प्रमाणीकरण का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह उन योग्य पेशेवरों के लिए आवश्यक है जो देश को आतंकवाद, साइबर हमलों और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न खतरों से बचाने के लिए उपलब्ध हैं।</p>	<p>इस खंड को इस प्रकार पढ़ा जाए: मशीन को यांत्रिक, विद्युत और विकिरण खतरों के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। मशीन की स्थापना से पहले, आपूर्तिकर्ता/निर्माता को विकिरण सुरक्षा के संबंध में भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उपकरण बनाने वाली कंपनी के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के निर्माण और सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए।</p>
(vi)	<p>पृष्ठ संख्या 21 में भाग III के खंड 3.1 (VIII) में निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें में उल्लिखित खंड अर्थात् बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा में 24x7 सेवा स्थापित होनी चाहिए, को निम्नानुसार संशोधित किया जाए: बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा/हैदराबाद में 24x7 सेवा स्थापित होनी चाहिए।</p>	<p>इस खंड को इस प्रकार पढ़ा जाए: बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा/हैदराबाद में 24x7 सेवा स्थापित होनी चाहिए।</p>



(vii)	<p>पृष्ठ संख्या 21 में भाग III के खंड 3.1 (II) में निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें अर्थात् बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक एस्टेट / औद्योगिक घरानों के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की एसआईटीसी जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (31 अक्टूबर 2024 तक)</p> <p>एक्सआईबीएस उत्पादों के लिए आपके द्वारा जारी निविदा के अनुसार यह सुरक्षा उत्पादों/प्रणालियों की श्रेणी में आएगा। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सुरक्षा प्रणालियों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव शामिल करें।</p>	निविदा की शर्त अपरिवर्तित है।
(viii)	<p>सभी बोलीदाताओं से ₹72,000/- (बहत्तर हजार रुपये मात्र) एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक के प्रारूप में अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में देय।</p> <p>हम एमएसई के रूप में ईएमडी जमा करने में छूट का अनुरोध करते हैं, हम बोली भागीदारी के लिए उद्यम और एनएसआईसी के साथ पंजीकृत हैं। सभी राज्य, केंद्र सरकार और एमएचए निविदाओं में इन छूट मानदंडों का पालन किया जाता है। एक संभावित ओईएम/आपूर्तिकर्ता के रूप में, हमारा मानना है कि हम आरबीआई हैदराबाद को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद/सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।</p>	निविदाकर्ताओं द्वारा ईएमडी निविदा शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

5. श्री के. संतोष, सहायक महाप्रबंधक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

**कृपया ध्यान दें:**

- (i) यह दस्तावेज़ (बोली-पूर्व बैठक का विवरण) निविदा का एक भाग होगा;
- (ii) बोली दस्तावेज़ के शेष नियम एवं शर्तें तथा विनिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे;
- (iii) उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जा रहे हैं;
- (iv) फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज़ और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

\*\*\*\*\*



**अनुलग्नक- I**

**प्रतिभागियों की सूची**

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

क्र.सं.	नाम (श्री)	पदनाम
1.	सुनील कुमार बर्नवाल	एजीएम (टेक-इलेक्ट्रिकल)
2.	के संतोष	एजीएम
3.	एस राज सेखर रेड्डी	सहायक प्रबंधक

**संगठनों/फर्मों के प्रतिनिधि**

क्र.सं.	नाम (श्री)	संगठन/फर्म
1.	नवीन जे	मेसर्स मैगटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	एस विग्नेश कुमार	मेसर्स मोटवाने मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3.	चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव	मेसर्स वेहंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

**क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
हैदराबाद**